यह निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यालय ज़िला शिक्षा आधिकारी(प्राथमिक शिक्षा) पिथौरागढ़ द्वारा, उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय ज़िला शिक्षा आधिकारी(प्राथमिक शिक्षा) पिथौरागढ़ ,के माह 04/2016 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अजय त्यागी , श्री राजा रंजन राव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री गौरव पंत वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11/02/2019 से 14/02/2019 तक श्री टी0एस0 नेगी लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

परिचयात्मकः इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा ।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या –XXIV-2/ 2012-6(3)/2012 -6(3)/2012 दिनाक -09/10/2012 मे दिये गए कार्य का दायित्व का अनुपालन किया जाता है। कार्यालय नेशनल हाइवे से ½ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । विकास भवन के समीप हें ,एवं चम्पावत ज़िले से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हें ।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

क्र°सं°	**वित्तीय वर्ष**	**स्थापना**			**गैर स्थापना**			**आधि° (+)**	**बचत**
		प्रा°शे°	**आवंटन**	**व्यय**	**प्रा°शे°**	**आवंटन**	**व्यय**		
1	2015-16	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2016-17	-	58.77	54.11	-	4.11	3.94	-	4.83
3	2017-18	-	54.28	54.27	-	2.43	2.42	-	0.02
4	2018-19 (05/2018 तक)	-	81.69	65.07	-	4.65	0.72	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि रु. में)

वर्ष	**योजना का नाम**			**प्राप्त धनराशि**			
	(सर्व शिक्षा अभियान)	**प्रा° शेष**	**वर्ष के दौरान आवंटन**	**विविध प्राप्ति (व्याज आदि)**	**कुल प्राप्ति**	**व्यय**	**बचत**
2015-16		-	-	-	-	-	-
2016-17		-	-	-	-	-	-
2017-18		-	-	-	-	-	-
2018-19(12/18) तक)		-	-	-	-	-	-

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई की श्रेणी "सी0 " है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव विधालयी शिक्षा
↓
महानिदेशक
↓
निदेशक प्राम्भिक
↓
मंडलीय अपर निदेशख (प्रा. शिक्षा)
↓
मुख्य शिक्षा आधिकारी
↓
ज़िला शिक्षा आधिकारी (प्राम्भिक शिक्षा)

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय ज़िला शिक्षा आधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) पिथौरागढ़ की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय ज़िला शिक्षा आधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) पिथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017,11/2017----को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद ,कर्तव्य) महालेखापरीक्षक के-के अधीन बनाये गये नियंत्रक 149 ,अधिनियम (शक्तियां तथा सेवा की शर्ते1971 ,डी पी सी एक्ट)1971लेखा तथा लेखापरीक्षा 13 की धारा (,विनियम2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:1- नई पेंशन योजना के अन्तर्गत 06 नव-नियुक्त कर्मचारियो/ अधिकारिओ के वेतन शीट /कोषगार शीट मे 05 कर्मचारिओ की एनपीएस नमूना जांच में नियोक्ता का अंश (state share) की ₹ 304697.00 की धनराशि जमा न होने के सम्बंध में।

उत्तराखंड राज्य में दिनाक – 01/10/2005 के पश्चात सेवा मे नियुक्त अधिकारिओ/ कर्मचारियो हेतु वित्त विभाग की अधि सूचना -21/XXVII(7) अंश दाई पेंशन योजना /2005 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत अंश दाई पेंशन योजना लागू की गयी थी। इस सम्बंध मे वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या -643/XXVII(7) अंश दाई पेंशन योजना /2010 दिनाक 11/08/2010 के प्रस्तर –(2) के प्रविधनानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि कोषागार द्वारा लेखा शीर्षक -0071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवर्ति लाभों के लिए 00-117-नई पेंशन योजना ,01-कर्मचारी का अंश , 02- नियोक्ता का अंश (state share) के नामे जमा किए जाने की व्यवस्था की गयी थी।

इस सम्बंध में अपर सचिव उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या -113/06/XXVII(10) 2017 दिनाक -06/04/17 मे स्पष्ट किया गया है कि अंश दाई पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिकों के 10% अंशदान की कटौती उनके वेतन मद के लेखा शीर्षक -8342011170301 मे जमा किया जाएगा। साथ ही समतुल्ये धनराशि सरकार के अंशदान के रूप में 2071011170301 से कटौती कर लेखा शीर्षक 8342011170302 मे जमा की जाएगी। इस प्रकार लेखा शीर्षक -83420111703 मे जमा कुल धनराशि को आहरित कर निदेशक , कोषागार द्वारा सी0 आर0 ए0 को प्रेषित किया जाएगा। उक्त प्रकरण मे नई पेंशन योजना के अंतर्गत निम्न विवरण के अनुसार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 05 नव-नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारिओं के वेतन शीट /कोषगार शीट की नमूना जांच मे निम्न प्रकार NPS कटौतियाँ सुनिश्चित की गयी थी , जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रमसंख्या	कर्मचारी का नाम	भुगतान का वर्ष	कर्मचारी का अंश(10%)	सरकार का अंश(10%)	कुल योग(र) मे
01	श्रीमति चेतना वोहरा	2017-18 & 2018-19	38480.00+45457.00=83937.00	-	83937.00
02	श्री विक्रम प्रसाद	2017-18&2018-19	36444.00+19495.00=55939.00	-	55939.00
03	श्री मनोज कुमार	2017-18&2018-19	30436.00+22661.00=53097.00	-	53097.00
04	श्री मनोजसिंह	2017-18&2018-19	31082.00+21565.00=52647.00	-	52647.00
05	श्री हिमांशु जोशी	2017-	31589.00+27488.00=59077.00	-	59077.00

		18&2018-19			
			कुल योग	-	304697..00

ज़िला शिक्षा आधिकारी(प्राथमिक शिक्षा) पिथौरागढ़ के कार्यालय में कार्यरत 06 नव-नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारिओ में से 05 कर्मचारिओ के नमूना जांच मे वेतन शीट /कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश(state share) सम्प्रेक्षा तिथि तक र 304697..00 का जमा होना नहीं पाया गया था। संप्रेक्षा जांच मे यह भी पाया गया हें कि संस्था मे तैनात कर्मचारियो/ अधिकारिओ/सीक्षण गण मे से कर्मचारियो/ अधिकारिओ/सीक्षण गण की NPS पासबुक एवं लेजर तेयार किये गए हें परंतु उनके NPS पासबुक एवं लेजर मे 10% state share दर्ज नहीं किया जा रहा हें ।

कोषगार (पिथौरागढ़) के कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश(state share) 03/2017 से जमा नहीं किया जा रहा है। संप्रेक्षा जांच मे यह पाया गया कि कॉलेज द्वारा कोषा अधिकारी एवं निदेशालय को भी लगभग 02 वर्ष से इस संबंध में पत्र द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी। इस सम्बंध मे संप्रेक्षा द्वारा इकाई से पूछे जाने पर कॉलेज द्वारा अवगत कराया कि उक्त प्रकरण मे लेखापरीक्षा के निर्देशों का पालन करते हुऐ कार्यवाही कि जायेगी । संप्रेक्षा मे इकाई उत्तर मान्य नहीं है क्योकि इकाई द्वारा उक्त प्रकरण मे संप्रेक्षा तिथि (01/19) तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। शासन आदेश मे-06/04/17 मे स्पष्ट है कि प्रविधनानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको व नियोक्ता के अंश की धनराशि का लेखांकन सुसंगत लेखा शीर्ष दर्ज न किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1. जिला योजना वर्ष 2017—18 के अन्तर्गत कराये गये पुर्ननिर्माण/मरम्मत कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराया जाना (रू035.73 लाख)

जिला योजना के अन्तर्गत् रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 में पुनः **निर्माण**/मरम्मत कार्यो हेतु वर्ष 2017—18 में प्रस्तावित कार्यो हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी शर्तानुसार निर्धारित प्रपत्र पर निमार्ण ऐजन्सी से एम0ओ0यू0 कर स्वीकृति धनराशि का उपयोग 31—03—2018 से पूर्व कर उपयोगिता प्रमाण—पत्र एवं वित्तीय /भौतिक प्रगति विवरण विभागाध्यक्ष/शासन एवं अर्थ एवं संख्याधिकारी को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाना था। (संदर्भ—पत्रांक 799/जि0यो0—प्र0वि0स्वी0/2016—17 दिनांक 7—11—2017 कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ.)

इकाई की वर्ष 2016—17, 2017—18 व 2018—19 की नियोजन (बेसिक) जिला योजना के अभिलेखों के जांच में पाया गया है कि कार्यदायी संस्था जिला पंचायत पिथौरागढ़ द्वारा रू0 26.20 लाख कार्यदायी संस्था ग्रामीण **निर्माण** विभाग पिथौरागढ़ द्वारा रू0 3.65 लाख, कार्यदायी संस्था ग्रामीण **निर्माण** विभाग अस्थायी प्रखण्ड डीडीहाट द्वारा रू0 4.38 लाख व कार्यदायी संस्था खण्ड विकास अधिकारी, डीडीहाट द्वारा रू0 1.50 लाख के विद्यालयों के पुर्ननिर्माण /मरम्मत कार्य किये गये किन्तु इकाई को उनके उपभोग प्रमाण—पत्र (कुल धनराशि रू0 35.73 लाख) पत्रावली में अब तक उपलब्ध नहीं कराये गये थे। इकाई द्वारा कार्यदायी संस्थाओं से एम0ओ0यू0 कराये जाने से सम्बन्धित साक्ष्य भी संलग्न नहीं थे।

इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि कार्यदायी संस्थाओं से एम0ओ0यू0 कराया गया था, पत्रावली में संलग्न नही कराया जा सका है एंव कार्यादेश के साथ कार्य पूर्ण करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण—पत्र देने हेतु लिखा गया है, उनके द्वारा समायान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है। उत्तर संन्तोषजनक नही हैं

अतः कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जिला योजना 2017—18 के अन्तर्गत कराये गये रू0 35.73 लाख के पुर्ननिमार्ण/मरम्मत कार्यो के उपभोग प्रमाण—पत्र उपलब्ध न कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

(i) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय ज़िला शिक्षा आधिकारी(प्राथमिक शिक्षा) पिथौरागढ़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। **अप्रस्तुत अभिलेख -** शून्य

1. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गय**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	दिनांक
1.	श्री बची राम आर्या	वित्त अधिकारी	22-04-2015 से 01/07/2017 तक
2.	श्री मदन मोहन पंत	वित्त अधिकारी	02/07/2017 से 30/06/2018
3.	श्री धनी राम चन्नयाल	वित्त अधिकारी	01/07/2018 से 09/09/2018
4.	श्री गौरव पंत वित्त अधिकारी		10/09/2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय ज़िला शिक्षा आधिकारी(प्राथमिक शिक्षा) पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.